

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022—वैशाख 16, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 मई 2022

एफ 12-06-2022-सत्रह-मेडि-3.—मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में, खण्ड (ट) में, उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-  
“(तीन) किसी आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.आर.एम.पी.) को एक बार में राज्य के केवल एक उपचर्यागृह में ही रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। वह अन्य उपचर्यागृहों में कार्य कर सकता है, परन्तु वह आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.आर.एम.पी.) के रूप में राज्य के एक से अधिक उपचर्यागृह में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकेगा। इस प्रकार आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.आर.एम.पी.) के रूप में अतिरिक्त कार्य करने का भार स्वयं आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.आर.एम.पी.) का होगा।”

F 12-06/2022/17/M-3 :- In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules, 1997, namely: -

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-II, in clause (k), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(iii) A Resident Registered Medical Practitioner (RRMP) shall be permitted to register RRMP in only one Nursing Home of the State, at a time. He may work in other hospitals but would not be able to register as RRMP in more than one hospital of the State. The onus of any such additional engagement as RRMP shall lie upon the Registered Resident Medical Practitioner, himself.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाडे, सचिव.